राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी/अलेसे–II/1992/ 118 दिनांकः– 28/5/2019

संशोधित आदेश

इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.2 (ग) एसीपी / 1992 आर / अलेसे–II / 11991–992 दिनांक 03.06.2015 (आदेश संख्याः 24/ 2015–16) में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड–2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4200/– में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गुरदीप पाल चावला	आर 104/92	28.06.1995	28.06.2013	—

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री गुरदीप पाल चावला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को परिनिंदा के दण्ड के कारण द्वितीय एसीपी 1 वर्ष पश्चात 28.06.2014 को स्वीकृत की गई थी। श्री चावला को पारित परिनिंदा के दण्ड का आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1085/ जांच/ 2006/ 627–35 दिनांक 06.05.06 को वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(4) वित्त/ राजस्व/ 2016 जयपुर दिनांक 08.05.2018 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः श्री चावला को 28.08.2013 से द्वितीय एसीपी स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी/अलेसे–II/1992/ 118 दिनांकः– 28/05/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order